43–(08)–12–2022

पटना में दिनांक–29 नवम्बर, 2022 मंगलवार को अपराह्न 04:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1. बिहार पुरातत्व एवं संग्रहालय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति। — **1. स्वीकृत**

जल संसाधन विभाग

2. श्री प्रेम प्रकाश (आई0डी0–5277), तत्कालीन सहायक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल–2, झंझारपुर संप्रति निलंबित को बाढ़ 2019 की अवधि में 03 (तीन) अदद कटाव/टूटान बिन्दुओं का पूर्व निरीक्षण नहीं करने, किसी भी टूटान बिन्दु पर कटाव वाले भाग को सुरक्षित रखने की कार्रवाई नहीं करने, विभागीय बेतार संवाद द्वारा कटाव बिन्दुओं को बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखने संबंधी दिये गये निदेशों का उल्लंघन करने जैसे आरोपों के लिए "सेवा से बर्खास्त" करने के संबंध में। — **2. स्वीकृत**

नगर विकास एवं आवास विभाग

3. बिहार शहरी आयोजना तथा विकास (संशोधन) नियमावली के नियम–11 के उपनियम–3(i) में पटना महानगर क्षेत्र प्राधिकार के अध्यक्ष के संबंध में यथावर्णित परन्तुक जोड़े जाने की स्वीकृति। — **3. स्वीकृत**

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

4. बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद नियमावली, 2021 में संशोधन हेतु प्रारूप बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) नियमावली, 2022 को अधिसूचित करने एवं बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त करने की स्वीकृति। — **4. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

5. औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा–0.6318 एकड़ गैरमजरूआ मालिक/मजकुर बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) सशुल्क आधार पर कुल–1,48,20,155 (एक करोड़ अड़तालिस लाख बीस हजार एक सौ पचपन) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **5. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

6. औरंगाबाद जिलान्तर्गत औरंगाबाद अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा–0.0948 हक्टेयर बकास्त मालिक बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) सशुल्क आधार पर कुल–4,21,474.00 (चार लाख एक्कीस हजार चार सौ चौहत्तर) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। **6. स्वीकृत**

विधि विभाग

7. राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 के अंतर्गत मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु 8(आठ) अतिरिक्त अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित किए जाने के लिए विभिन्न कोटि के कुल 72 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **7. स्वीकृत**

विधि विभाग

8. राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के तहत दायर वादों के त्वरित निष्पादन हेतु राज्य में गठित किए जाने वाले 54 अनन्य विशेष न्यायालय के लिए विभिन्न कोटि के कुल 432 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **8. स्वीकृत**

वाणिज्य–कर विभाग

11. श्री शशिकांत चतुर्वेदी, तत्कालीन राज्य कर उपायुक्त, खगड़िया अंचल, खगड़िया सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध रंगे हाथ रिश्वत लेने का आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप श्री चतुर्वेदी को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। **11. स्वीकृत**

सहकारिता विभाग

12. केन्द्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) का कम्प्युटरीकरण योजना' को राज्य में वित्तीय वर्ष–2022–23 से 2026–2027 तक लागू करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति, राज्य के ग्राम पंचायत के सह–अंतक (Co-terminous) सभी पैक्सों को चरणबद्ध रूप से कम्प्युटरीकृत करने हेतु केन्द्रांश के रूप में कुल–149.40 करोड (एक सौ उनचास करोड चालीस लाख) रू० एवं राज्यांश के रूप में कुल 99.60 करोड़ (निन्यानवे करोड़ साठ लाख) रूपये कुल 249.00 करोड़ (दो सौ उनचास करोड़) रूपये की स्वीकृति तथा योजना के कार्यान्वयन अवधि में उपलब्ध बजट उपबंध एवं उद्व्यय के अन्तर्गत यथा आवश्यकता राशि की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **12. स्वीकृत**

सामान्य प्रशासन विभाग

13. सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या–1609 दिनांक–24.05.2011 द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक (सम्पुष्टि के लिए कम्प्यूटर सक्षमता) नियमावली, 2011 को निरसित करते हुए बिहार सरकारी सेवक (कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा) नियमावली, 2022 के गठन के संबंध में। **13. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

14. आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु भविष्य में गत वित्तीय वर्ष की केन्द्रांश की समस्त राशि विमुक्त होने के शर्त्त पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश की विमुक्ति की प्रत्याशा में राज्यांश की राशि (समानुपातिक ढंग से अलग–अलग मदों में) बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति को हस्तनान्तरित किये जाने सहित वर्तमान वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान एवं प्रशासनिक व्यय हेतु केन्द्रांश की प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश मद में उपबंधित कुल रू0 50.00 करोड़ {(पचास करोड़), सूचीबद्ध अस्पतालों के दावों के भुगतान हेतु 40.57 करोड़ रू0 एवं प्रशासनिक व्यय हेतु 09.43 करोड़ रू0)} मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति। **14. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

15. डा0 जनार्दन प्रसाद सुकुमार, तत्कालीन क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमण्डल, पटना के विरूद्ध सरकारी कार्यक्रम में कर्त्तव्य के निर्वहन के क्रम में शराब सेवन करने एवं गैर महिला को अपने कमरे में प्रश्रय देने के आरोप में संकल्प सं0–852(9) दिनांक–28.10.2022 द्वारा सेवा से बर्खास्त किये जाने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। **15. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

16. डा0 वीरेन्द्र कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, हसपुरा, औरंगाबाद को दिनांक–05.07.2017 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **16. स्वीकृत**

स्वास्थ्य विभाग

17. डा0 मृत्युंजय कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, औरंगाबाद के विरूद्ध दिनांक–01.07.2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **17. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

18. औरंगाबाद जिलान्तर्गत नवीनगर अंचल के मौजा–सोनौरा, थाना सं0–362, खाता सं0–113, खेसरा सं0–1153, रकबा–6.01 एकड़ गैरमजरूआ मालिक, किस्म–परती कदीम भूमि सशुल्क आधार पर कुल–83,83,950/–(तेरासी लाख तेरासी हजार नौ सौ पचास) रूपए मात्र राशि भुगतान पर 132/33 के0 वी0 ग्रीड उपकेन्द्र निर्माण हेतु बिहार स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **18. स्वीकृत**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. औरंगाबाद जिलान्तर्गत रफीगंज अंचल के विभिन्न मौजा व थाना के विभिन्न खाता एवं खेसराओं की कुल रकबा–0.17925 एकड़ गैरमजरूआ मालिक/मजकुर/रेहनदार/मोकरीदार बिहार सरकार की भूमि (भूमि विवरणी संलग्न, परिशिष्ट–I) सशुल्क आधार पर कुल–53,75,387 (तिरपन लाख पचहत्तर हजार तीन सौ सतासी) रू0 के भुगतान पर डी0 एफ0 सी0 सी0 आई0 एल0 परियोजना निर्माण हेतु डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में। — **19. स्वीकृत**

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

20. राज्य स्कीम मद से डॉ0 भीम राव अम्बेदकर 10+2 आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल बिहारशरीफ, जिला–नालन्दा में विद्यालय भवन (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/–(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू0) मात्र की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति। — **20. स्वीकृत**

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

21. राज्य स्कीम मद से डॉ0 भीम राव अम्बेदकर आवासीय विद्यालय प्रखण्ड–सह–अंचल मोहनियाँ, जिला–कैमूर में विद्यालय भवन (720 आसन) का निर्माण कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित स्थूल प्राक्कलन कुल ₹46,07,97,000/–(छियालीस करोड़ सात लाख सन्तानवे हजार रू0) मात्र की दर पर निर्माण कराने की प्रशासनिक स्वीकृति तथा आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि से व्यय की स्वीकृति। — **21. स्वीकृत**

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

22. "बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान" की स्थापना हेतु विभिन्न कोटि के कुल 24 पदों के सृजन करने की स्वीकृति। — **22. स्वीकृत**

नगर विकास एवं आवास विभाग

23. सुपौल नगर परिषद में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 60,14,20,000/–रूपये (साठ करोड़ चौदह लाख बीस हजार रू० मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 57,08,80,000/–रूपये (संतावन करोड़ आठ लाख अस्सी हजार रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार की ओर से देय सेंटेज की राशि 3,05,40,000/–रूपये (तीन करोड़ पाँच लाख चालीस हजार रू० मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **23. स्वीकृत**

नगर विकास एवं आवास विभाग

24. रामनगर नगर परिषद में इंटरसेप्शन एण्ड डाईभर्सन (I&D) एवं सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) का निर्माण नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से अनुमानित लागत व्यय कुल 60,02,50,000/–रूपये (साठ करोड़ दो लाख पचास हजार रूपये मात्र) जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 56,97,60,000/–रूपये (छप्पन करोड़ सनतानवे लाख साठ हजार रूपये मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से देय सेंटेज की राशि 3,04,90,000/–रूपये (तीन करोड़ चार लाख नब्बे हजार रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति के संबंध में। — **24. स्वीकृत**

नगर विकास एवं आवास विभाग

25. केन्द्र प्रायोजित स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत पटना स्मार्ट सिटी योजना पर अनुमानित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति संबंधी पूर्व में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–2261 दिनांक–05.10.2017 की कंडिका–2 एवं 3 में यथावर्णित संशोधन करते हुए पूर्व में प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति की राशि रूपया 27,76,16,00,000/–(दो हजार सात सौ छिहत्तर करोड़ सोलह लाख रूपये) के स्थान पर रूपया 9,82,50,00,000/–(नौ सौ बेरासी करोड़ पचास लाख रूपये) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **25. स्वीकृत**

समाज कल्याण विभाग

(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

26. समेकित बाल विकास सेवाएँ योजना अंतर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका–2022 की स्वीकृति के संबंध में। **26. स्वीकृत**

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

27. राज्य योजनान्तर्गत संचालित प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण योजना के तहत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित अधिकतम पारिवारिक वार्षिक आय अधिसीमा रूपया 1,00,000/– (एक लाख रूपये) मात्र को बढ़ाकर रूपया 3,00,000/– (तीन लाख रूपये) मात्र किये जाने तथा अरवल एवं शिवहर जिला में स्वीकृत प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र को पटना एवं नालंदा में पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय अंतर्गत संस्थान में प्रतिस्थापित किये जाने की स्वीकृति। **27. स्वीकृत**

उद्योग विभाग

28. मेसर्स संजीवन राईस मिल्स प्रा0 लि0, मौजा–विशनपुर, पोस्ट–माधोपुर, जिला–जमुई को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली–2016 के नियम–7 के उप नियम (2)(iv) के आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति देने के संबंध में। **28. स्वीकृत**

गृह विभाग

(विशेष शाखा)

30. गृह मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिपूर्ति आधारित 'आतंकवाद/साम्प्रदायिक/नक्सली हिंसा (LWE Violence)/ सीमा पार से गोलीबारी एवं बारूदी सुरंग विस्फोट से पीड़ित सिविल व्यक्तियों की सहायता हेतु केन्द्रीय योजना' की संशोधित मार्गदर्शिका, 2022 के प्रावधानों को बिहार राज्य में लागू करने की स्वीकृति के संबंध में। **30. स्वीकृत**

शिक्षा विभाग

31. सिविल अपील संख्या–7364/2014 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 05.05.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या–1/87 के तहत +2 व्याख्याता के पद पर नियुक्त बिहार राज्य के अंतर्गत कार्यरत/सेवानिवृत 226 पदाधिकारियों को अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) का भाग मानते हुए नियुक्ति की तिथि से बिहार शिक्षा सेवा में संविलियन, भूतलक्षी प्रभाव से सभी परिणामी लाभ देने, उक्त 226 पदों को बिहार शिक्षा सेवा में उत्क्रमित करने तथा परिणामी लाभ के उपरान्त उक्त पदों को मरणशील घोषित् करने का प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति के संबंध में। **31. स्वीकृत**

ग्रामीण विकास विभाग

32. शराब एवं ताड़ी के उत्पादन एवं ब्रिकी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े अत्यंत निर्धन परिवार एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों का आजीविका संवर्धन, क्षमता निर्माण एवं वित्तीय सहायता के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण हेतु राज्य योजना अंतर्गत चालू योजना सतत् जीविकोपार्जन योजना को जीविका के माध्यम से संपूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में क्रियान्वित करने एवं विभागीय संकल्प सं0–551603 दिनांक–03.09.2021 द्वारा स्वीकृत बजट रू0 610.00 करोड़ (छः अरब दस करोड़) का उपयोग संपूर्ण राज्य (ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों) में योजना के क्रियान्वयन में करने की स्वीकृति। **32. स्वीकृत**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

33. वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत मात्स्यिकी विकास एवं आधारभूत संरचना के विकास हेतु केन्द्र ₹ 64,91,50,000 (चौसठ करोड़ एकानवे लाख पचास हजार) मात्र की लागत पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति तथा प्रथम चरण में विमुक्त तथा अव्यवहृत केन्द्रांश ₹ 5,02,00,000 करोड़ (पाँच करोड़ दो लाख) तथा राज्य सरकार के समानुपातिक राज्यांश ₹ 3,34,70,000 करोड़ (तीन करोड़ चौंतीस लाख सत्तर हजार) अर्थात् कुल ₹ 8,36,70,000 करोड़ (आठ करोड़ छत्तीस लाख सत्तर हजार) मात्र व्यय के संबंध में। **33. स्वीकृत**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

34. सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्य तिथि प्रतिवर्ष 15 दिसम्बर को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के सम्बंध में **34. स्वीकृत**